न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 322/2016 दायरा दिनांक : 14.09.2016

उनवान

1— घनश्याम पुत्र भेरिया, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम शेखापुर, तहसील छबडा, जिला बारां

2— राधेश्याम पुत्र भेरिया, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम शेखापुर, तहसील छबडा, जिला बारां

3— प्रेमनारायण पुत्र भेरिया, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम शेखापुर, तहसील छबडा, जिला बारां

4— हीरा बाई पत्नी भेरिया, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम शेखापुर, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— चम्पा बाई पुत्री सेवा, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम शेखापुर, तहसील छबडा, हाल निवासी मुसई गूजरान, तहसील अटरू, जिला बारां

2— मोहनी बाई पुत्री सेवा, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम शेखापुर, तहसील छबडा, हाल निवासी बोकडा, तहसील अटरू, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट
की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.11.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 2/2016 निर्णय दिनांक 24.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 142/535 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 263 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 264 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 267 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 25 बीघा 3 बिस्वा आराजी ग्राम शेखापुर में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है । प्रार्थीगण स्वयं काश्त करते हुए ही अपने भाई भेरिया को पांति से जुपाती थी । इस वर्ष भी पांति से जुपायी थी । भेरिया की मृत्यु हो चुकी है । अप्रार्थीगण भेरिया के कायम मुकामान हैं जिन्होंने प्रार्थीगण को कब्जा देने से मनाकर दिया है । प्रार्थीगण के पिता का दत्तक पुत्र एवं प्रार्थीगण का भाई होने के कारण प्रार्थीगण ने भेरिया पर विश्वास

कर लिया और उसने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर आराजी का इंतकाल अपने नाम खुलवा लिया । भेरिया ने एक राजीनामा 5/– रूपये के स्टाम्प पर किया था । इस राजीनामे के अनुसार प्रार्थीगण काश्त करते रहे । प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी है । यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो अपूर्णीय क्षति होगी । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया है और एक तरफा निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है । सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । अपीलांट को कोई तलबी कैम्प कोर्ट की नहीं दी गई थी । रेस्पोडेंटगण ने इंतकाल निरस्त करने हेतु जिला कलेक्टर, बांरा के यहां अपील पेश की थी जो 21.09.2002 को खारिज हो चुकी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.07.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सूचना दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । वादग्रस्त आराजी के अपीलांट खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुलभ न्याय हेतु न्याय आपके द्वार के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी की रेस्पोडेंटगण खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार वादग्रस्त आराजी भेरिया के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 40 भी सलंग्न है

जिसमें आराजी सेवा के फौत होने पर भेरिया के खाते में दर्ज होने की स्वीकृति 1963 में दी गई है । एक सरपंच के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली में सलंग्न है ।

पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी में लम्बित थी । इसको कोर्ट कैम्प में दिनांक 24.06.2016 के लिए नियत किया गया । दिनांक 24. 06.2016 को कोर्ट कैम्प में प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं थे और बिना पक्षकारान के उपस्थिति के और बिना किसी विधिक राजीनामे के प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण उसी दिन स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण हो सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर उनसे जवाब प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर लोक अदालत के लिए पक्षकारों को कोई नोटिस जारी किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य भी सलंग्न नहीं है । नोटिसों की प्रतियां एवं तामील रिपोर्ट सलंग्न नहीं है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्ष को बहस का

अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा